कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टिकारी

पत्रांक 255 / टिकारी, दिनांक 18.04.2026

अल्पकालीन कोटेशन पुनः आमंत्रण सूचना सं0– 01/2026–27

सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टिकारी अन्तर्गत अवर प्रमंडल पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता हेतु भाडे पर क्रमशः एक अंदद सूमो (विक्टा)/बोलेरों वाहन तथा एक अदद स्कार्पियों वाहन रखने की आवश्यकता है। इस क्रम में इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्पिकर्त्ता से उक्त वाहन (ड्राईवर के साथ) भाडे पर आपूर्ति करने हेतु निम्न शर्तो के साथ अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है–

1. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए।

2. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण–पत्र इत्यादि वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।

3. चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।

4. वाहन का रख–रखाव, साफ–सफाई वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा, तथा हमेशा चालू अवस्था में रखने की बाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी। वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित वाहन की जिम्मेदारी वाहन मालिक/वाहन अपूर्तिकर्ता की होगी।

5. नियमानुसार सभी प्रकार के करों यथा जी0एस0टी0 इत्यादि अन्य करों का पूर्ण भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता को स्वंय वहन करना होगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेवारी उनकी होगी।

6. जिला प्रशासन गया द्वारा सूमो (विक्टा)/बोलेरों/स्कर्पियों के निधारित दर से अधिक उद्वत किया गया दर मान्य नहीं होगा।

7. ईधन रहित न्यूनतम दर के कोटेशनदाता वाहन मालिक/वाहन अपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा। एक से ज्यादा समान दर प्राप्त होने पर लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन अपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा। चयनित कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा ।

8. वाहन उपयोग हेतु 24 घटें सम्बंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने/मेटेनेंस में रहने/ अनुपलब्धता की स्थिति में वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत वैकल्पिक वाहन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस माह का भाडे का भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. आवश्यकता आधारित ,विभागीय प्रावधान अनुरूप वाहन मार्च 2027 तक भाडे पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्पिकर्ता के द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जायेगा।

10. सेवा असंतोषजनक रहने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर बिना कारण बताये एकरारनामा रद्द करने का अधिकार कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टिकारी, के पास सुरक्षित रहेगा।

11. वाहन के किराये का भुगतान वाहन मालिक द्वारा विपत्र प्रस्तुत करने तथा उपलब्ध आवंटन के आधार पर किया जायेगा। इस मद में कोई भी दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

12. किसी भी प्रकार के शुद्धि–पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए कोटेशन रद्द अथवा विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये कोटेशन के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होगें।

13. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

इच्छुक वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता उक्त शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत अथवा अपने पत्र पर स्वहस्तलिखित शपथ पत्र, आचरण प्रमाण पत्र) एवं क्रमांक 2 एवं 3 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 30.04.2026 से 07.05.2026 तक कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बन्द लिफाफे में दिनांक 07.05.2026 के 3:00 बजे अपराहन तक समर्पित करेंगे, जिसे 3:30 बजे अपराहन में खोला जायेगा। कोटेशन प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।

वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते है। सभी वांछित कागजात सहीं पाये जाने पर एक से ज्यादा समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 07.05.2026 को 4:00 बजे अपराहन में लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक / वाहन अपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा। वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता लौटरी के समय में उपस्थित रहेगे अन्यथा इनकी या इनके प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन के साथ क्रमाकं 2 एवं 3 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा तथा इन्हे लॉटरी में शामिल नहीं किया जायेगा। कोई अन्य जानकारी कार्यालय में सर्म्पक कर अथवा कार्यालय के सूचनापट्ट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

18/4/26

कार्यपालक अभियंता,
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल,
टिकारी, गया। 18/04/26 18/4/26

पत्रांक 255 / टिकारी, दिनांक 18.4.2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना को साफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु अग्रेतर कार्यवाई करने की कृपा की जाय।

18/4/26

कार्यपालक अभियंता,
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल,
टिकारी, गया। 18/04/26 18/4/26